रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218984
CG-DL-E-01042020-218984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1097] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942
No. 1097] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

का.आ. 1233(अ).—जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति 9 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई थी और उसी दिन राजपत्र में अधिसूचित किया गया था;

और, 31 अक्तूबर, 2019, मूल अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए नियत दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया था;

और, मूल अधिनियम तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था;

और, मूल अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (1) का खंड (क) उपबंध करता है कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय होगा;

और, संविधान का अनुच्छेद 219 उपबंध करता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा;

और, संविधान भाग 6 का अध्याय 6 उपबंध करता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीशों में भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी;

और, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले नए न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराने के लिए मूल अधिनियम की धारा 75 के उपबंधों को प्रभावी करने में पूर्वोक्त कठिनाई उद्भूत हुई है क्योंकि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित है;

अत:, अब, राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2020 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कठिनाईयों को दूर करने लिए यह घोषित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 227 तथा भाग 6 के अध्याय 6 के उपबंध उनके जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को लागू होने में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:-

(क) संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 219 में निर्देश "राज्य के राज्यपाल" का "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में निर्देश "राज्य का राज्यपाल" का "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 227 के खंड (3) के परंतुक में निर्देश "राज्यपाल" का "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 237 में निर्देश "राज्यपाल" का "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा"।

नई दिल्ली, राम नाथ कोविन्द

31 मार्च, 2020 राष्ट्रपति

[फा.सं.11012/11/2020-एसआरए]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF JAMMU, KASHMIR AND LADAKH AFFAIRS)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2020

S.O. 1233(E).—WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) (hereinafter referred to as the principal Act) received the assent of the President on the 9th day of August 2019 and notified in the Official Gazette on the same day;

AND WHEREAS, the 31st day of October, 2019 was notified as the appointed day for all purposes of the principal Act;

AND WHEREAS, the principal Act was enacted to provide for reorganisation of the erstwhile State of Jammu and Kashmir into Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (1) of section 75 of the principal Act provides that the High Court of Jammu and Kashmir shall be the common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh;

AND WHEREAS, article 219 of the Constitution provides that every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person, appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;

AND WHEREAS, Chapter VI of Part VI of the Constitution provides that appointment of district judges and recruitment of persons other than district judges to the judicial services shall be made by the Governor of the State in consultation with High Court exercising jurisdiction in relation to such State;

AND WHEREAS, the aforementioned difficulty has arisen in giving effect to the provisions of section 75 of the principal Act, for administering oath to the new judges being appointed to the Common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh as the Union territory of Jammu and Kashmir is administered by a Lieutenant Governor;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the President hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the removal of difficulties, it is hereby declared that the provisions of articles 217, 219, 227 and Chapter VI of Part VI of the Constitution shall, in their application to the High Court of Jammu and Kashmir for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, have effect subject to the following modifications, namely:-

(a) the reference in articles 217, 219 and Chapter VI of Part VI of the Constitution to "the Governor to the State" shall be construed as a reference to "the Lieutenant Governor, Union territory of Jammu and Kashmir";

(b) the reference in proviso to clause (3) of article 227 and article 237 of the Constitution to "the Governor" shall be construed as a reference to "the Lieutenant Governor, Union territory of Jammu and Kashmir".

New Delhi, RAM NATH KOVIND

31st March, 2020 PRESIDENT

[F.No.11012/11/2020-SRA]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA